भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219

जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

25 अग्रहायण, 1944 (शक)

सीईआरटी-इन के नोटिस पर व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया

1219. श्री जावेद अली खान :

श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) के औपचारिक नोटिस के जवाब में 121 भारतीयों भारतीयों की गोपनीयता भंग होने के संबंध में व्हाट्सएप से प्राप्त जानकारी और विवरण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने व्हाट्सएप को एक नोटिस जारी किया था जिसमें डेटा सुरक्षा और प्रबंधन नीतियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं, सुभेद्यता और सूचनाओं जैसे विवरण और सूचना प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। यह सर्ट-इन द्वारा मई 2019 में व्हाट्सएप द्वारा एक सुरक्षा घटना की रिपोर्टिंग करने और सितंबर 2019 में अपडेट करने पर किया गया था।

व्हाट्सएप ने सर्ट-इन के नोटिस की प्रतिक्रिया में, अपनी सुरक्षा प्रथाओं के बारे में सूचना प्रदान की, जिसमें इसकी डेटा सुरक्षा और प्रबंधन, सुभेद्यता और उपचारात्मक प्रक्रिया/कार्रवाई, प्रभावित उपयोगकर्ताओं को अधिसूचना प्रक्रिया, नीतियां आदि शामिल हैं।

इस मामले में सुभेद्यताएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं जो निजी स्वामित्व में हैं। समय-समय पर, सर्ट-इन ऐसे प्लेटफार्मों में सुभेद्यताओं को सूचित करता है। इस प्रकार के शून्य-दिवसीय शोषण और सुभेद्यताएं विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों की विशेषताएं हैं।

****